कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरत्न अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/पीएण्डए/ भर्ती/ सीएएनएसआरयू स्थायी/ पर्य.प्रशि./ अधिसूचना-12/ 2026/1 दिनांक 30 अप्रैल 2026

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न अनुसूची 'ए' कंपनी, सीएसएल एएन पोत मरम्मत यूनिट(सीएएनएसआरयू), श्री विजयापुरम, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह केलिए **पर्यवेक्षी प्रशिक्षार्थी** के निम्नलिखित पदों को भरने केलिए युवा पेशेवरों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करता है : -

I. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव :

तालिका 1

क्र.सं.	पदों का नाम	शैक्षिक योग्यता
1.	पर्यवेक्षक प्रशिक्षार्थी (यांत्रिक) 1 पद (अनारक्षित)	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा
2.	पर्यवेक्षक प्रशिक्षार्थी (विद्युत) 1 पद (अनारक्षित)	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा

II. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत : 30.04.2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 15.05.2026

III. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण :

तालिका 2

क्र.सं.	पदों का नाम	अना.
1	पर्यवेक्षक प्रशिक्षार्थी (यांत्रिक)	1
2	पर्यवेक्षक प्रशिक्षार्थी (विद्युत)	1
	कुल	**2**

क) रिक्तियों की संख्या बढाने /घटाने या किसी भी रिक्तियों को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को अपनी आवश्यकता के अनुसार रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है ।

ख) उपरोक्त अधिसूचित पदों के कार्य में ऊँचाई पर, शॉपों में, गोदी में, सीमित क्षेत्रों में काम करना, खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ना, मैनहोल में प्रवेश करना और पोतों पर संकरे रास्तों से गुजरना शामिल है, जो दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर नहीं है। **अतः इन पदों को दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है।**

ग) यह पद केवल **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के निवासी** उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा।

IV. <u>क्षतिपूर्ति और लाभ, तैनाती का स्थान:</u>

क) पर्यवेक्षक प्रशिक्षार्थी के रूप में चयनित उम्मीदवार को एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसके दौरान प्रशिक्षार्थी को 30, -/000रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर, प्रशिक्षार्थी को छुट्टियों के दिन अतिरिक्त प्रशिक्षण घंटों के लिए रखा जा सकता है, और ऐसे मामलों में उसे अधिकतम 3, -/000रुपये प्रति माह का अतिरिक्त वजीफा दिया जाएगा।

ख) एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर, पर्यवेक्षक प्रशिक्षार्थी को ₹ 28,000-1,10,000 रुपए के वेतनमान में पीएस-1 ग्रेड में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जिसमें वेतनमान की शुरुआत में निर्धारित वेतन शामिल होगा । कंपनी के नियमों के अनुसार, मूल वेतन के अलावा, उम्मीदवार लागू अनुसार औद्योगिक महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, मूल वेतन के 35% तक अनुलब्धियां और अन्य लाभ जैसे नई पेंशन योजना(एनपीएस), अंशदायी भविष्य निधि, दुर्घटना बीमा कवरेज, छुट्टी का नकदीकरण, अंशदायी चिकित्सा बीमा नीति के अधीन चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति, कार्य निष्पादन भुगतान आदि केलिए योग्य होंगे। तिथि के अनुसार मासिक परिलब्धियों का विवरण नीचे किया गया है:-

क्र.सं.	**वेतन प्रकार**	**मासिक परिलब्धियाँ (₹)**
1	मूल वेतन	28,000.00
2	महंगाई भत्ता (वर्तमान में 53.4%)	14,952.00
3	मकान किराया भत्ता (अंडमान में 20%)	5,600.00
4	अनुलब्धियां व भत्ता (35%)	9,800.00
5	स्थान आधारित भत्ता (10%)	2,800.00
	प्रति महीने कुल	**61,152.00**

ग) तैनाती सीएसएल द्वारा वांछितानुसार **सीएसएल एएन पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू), श्री विजया पुरम, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह /सीएसएल के अन्य यूनिट/ अन्य परियोजना स्थलों पर होगी।** फिर भी परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवारों को सीएसएल की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।

V. <u>आयु:</u>

सभी पदों केलिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा दिनांक 30 अप्रैल 2026 को 27 वर्ष से अधिक न हो, यानी आवदेकों का जन्म दिनांक 01 मई 1999 को या उसके बाद होना चाहिए ।

VI. <u>चयन की विधि :</u>

क) चयन प्रक्रिया में 1 घंटे 45 मिनट की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा (100 अंक) शामिल है,

जिसमें सामान्य ज्ञान (10 अंक), अंग्रेजी भाषा (10 अंक), संख्यात्मक क्षमता (10 अंक), तर्क क्षमता (10 अंक) और विषय आधारित (60 अंक) से संबंधित 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

ख) वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित की जाएगी और परीक्षा केंद्र सीएसएल द्वारा तय किए जाएंगे।

ग) प्रत्येक पद के लिए अंक सूची वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कुल अंकों का 50% होगा।

घ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की रैंक सूची तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के विषय भाग में प्राप्त अंक रैंक सूची के क्रम को निर्धारित करने का आधार होंगे। उसके बाद टाई होने की स्थिति में, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता तय की जाएगी।

VII. <u>शर्तें:</u>

क) <u>आरक्षण</u>

i. आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे ।

ii. ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को किसी भी निम्न प्राधिकारी द्वारा जारी *<u>वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र</u>* निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, जिसे चूकने पर उनकी उम्मीदवारी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण की ओर नहीं माना जाएगाः -

- जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुक मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- मुख्य प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
- उप- विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतया रहता हो।

iii. यदि आवेदक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व (गैर क्रीमी लेयर) का है तो उसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में एक *वैध अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र* प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो, ऐसा न करने पर आरक्षित पदों और श्रेणियों केलिए लागू रियायतों या छूटों केलिए विचार नहीं किया जाएगा।

ख) <u>योग्यता</u>

i. पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

ii. **जिन आवेदकों के पास निर्धारित योग्यता नहीं है, लेकिन बी.टेक आदि जैसी उच्च योग्यताएं हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

iii. किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

iv. किसी आवेदकों को पदों केलिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है । कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं । यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा । उम्मीदवार विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रतिशत रूपांतरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकता है।फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने केलिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है ।

ग) <u>सेवा समझौता</u>

i. चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए सीएसएल में सेवा देने हेतु एक सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा और अनुबंध के उल्लंघन के लिए सीएसएल को ₹3 लाख (तीन लाख रुपये) का हर्जाना देना होगा। प्रशिक्षण अवधि और सेवा अनुबंध की अवधि के दौरान, बाहरी रोज़गार के लिए आवेदन अग्रेषित नहीं किए जाएंगे। बाहरी रोज़गार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा।

घ) <u>आवेदन शुल्क:</u>

i. **ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके ₹ 300/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 30 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक हमारी** ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । **<u>भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा</u> ।**

ii. **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है ।** उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है ।

iii. सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को छोडकर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। **यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।**

ङ) <u>**आवेदन कैसे करें:**</u>

i. **आवेदकों को वेबसाइट** www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ→सीएएनएसआरयू, अंडमान) पर जाकर** ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले **लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू** को पढना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं –**एक बार पंजीकरण और लागू पद केलिए आवेदन प्रस्तुत करना ।** आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए । एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।

ii. अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक **एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण करके अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।** अपना आवेदन करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ→ सीएएनएसआरयू, अंडमान) के माध्यम से दिनांक 30 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक** प्राप्त की जा सकती है । <u>**सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।**</u>

iii. आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति आदि के प्रमाण से संबंधित सभी प्रमाण पत्र और हाल ही की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हो; अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iv. नियमित सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या अन्य समान संगठनों में आवेदकों को अपने आवेदन सीधे सीएसएल को ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। फिर भी, ऐसे आवेदकों को एक घोषणा पत्र अपलोड करना आवश्यक है (अनुलग्नक – I के अनुसार) कि उन्होंने अपने नियोक्ता को लिखित रूप में सूचित किया है कि उन्होंने सीएसएल द्वारा अधिसूचित पदों केलिए आवेदन किया है। यदि ऐसे उम्मीदवारों का चयन होता हैं तो उन्हें नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव में निर्दिष्ट तिथि पर ड्यूटी पर शामिल होना चाहिए।

v. आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई है और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है । ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा । किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है ।

vi. विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति **"प्रगति में "** के रूप में (इन प्रोसस) दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद ,उम्मीदवार "माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति **"प्रगति में "** है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई

है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

vii. **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी।** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल/ सीएएनएसआरयू के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए।

viii. **आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।**

ix. वेबसाइट **दिनांक 30 अप्रैल 2026** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **15 मई 2026** है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। ***आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।***

च) सामान्य

i. ***आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पदों के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।***

ii. सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career.cansru@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल/ सीएएनएसआरयू निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्रों को कार्यभार ग्रहण करने के समय या सीएसएल / सीएएनएसआरयू द्वारा तय किए गए किसी अन्य चरण पर किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से

अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

iv. **लिखित परीक्षाओं में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा।**

v. **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

vi. **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई-मेल/ सीएसएल वेबसाइट **www.cochinshipyard.in** के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएएनएसआरयू, अंडमान) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट (**कैरियर पृष्ठ→ सीएएनएसआरयू, अंडमान**) को बार- बार देखें।

vii. केवल आवेदन जमा करने, बुलावा पत्र जारी करने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

viii. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अधीन होगी।

ix. चयनित उम्मीदवारों को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।

x. नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।

xi. सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

xii. सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और काम की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

xiii. आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

xiv. इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

xv. इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

xvi. इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

xvii. विज्ञापन और चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए कृपया हमें career.cansru@cochinshipyard.in पर ई-मेल के माध्यम से संपर्क करें।

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"

"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)